राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.2(ग)(1)/अलेसे–I/4777 दिनांक :– 12/09/2024

आदेश संख्या 133/2024–25

श्री प्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीकृत अपराध संख्या 200/2022 में दिनांक 21.05.2022 को कार्यवाही कर गिरफ्तार किए जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक 366 दिनांक 31.05.2022 द्वारा उनकी गिरफ्तारी दिनांक 21.05.2022 से निलंबित किया गया।

श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 1128/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2024 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किए हैं:–

"It is submitted by learned counsel for the petitioner that the petitioner filed multiple representations dated 19.04.2023 and 18.01.2024 before the respondent authorities for the redressal of his grievance. However, no heed was paid to the same. In this regard, learned counsel has relied upon the dictum of the co-ordinate Bench judgment of this Court as enunciated in S.B. CWP No. 13479/2023 titled as Brij Bhusan Sharma vs. State of Rajasthan.

In this background, this Court deems it appropriate to direct the respondent-authorities to adjudicate upon/address the representations filed by the petitioner dated 19.04.2023 and 08.01.2024, in accordance with law, while adhering to the principles of natural justice, within a period of 8 weeks.

In light of the aforesaid, the petition is disposed of."

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण में इस विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2022 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी एवं ब्यूरो द्वारा प्रकरण में माननीय न्यायालय में दिनांक 12.07.2022 को चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2024 के क्रम में श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किये जाने पर प्रकरण में साक्ष्यों एवं दस्तावेजों को प्रभावित करने की स्थिति दर्शित नहीं होती है।

अतः माननीय राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 1128/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(5) में वर्णित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए श्री प्रकाश शर्मा, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, मुख्यालय कोषालय, दौसा को विभागीय आदेश क्रमांक 3335–3341 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा तुरंत प्रभाव से निलंबन से बहाल कर आदेशों में प्रतीक्षा में लेते हुए मुख्यालय कोषालय, दौसा में किया गया है।

अतः वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)साविलेनि/2006 दिनांक 20.06.2019 व प.1(1) वित्त/ नियम/2007 दिनांक 02.07.2024 के अनुसरण श्री प्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I का वेतन निलम्बन से पूर्ववत्त आहरित दर से वर्तमान आदेशों की प्रतीक्षा मुख्यालय कोषालय, दौसा से अग्रिम आदेशों तक आहरण किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.2(ग)(1)/अलेसे–I/4777 दिनांक :– 12/09/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....
2. श्री ...., सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय
5. रक्षित / निजी पत्रावली

(नरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)